By–email

पत्रांक–8/वि MDMC-011/2008 अंश–1................/

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार।

पटना, दिनांक ....

विषयः संवेदक के अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा संवेदक के अवधि विस्तार के संबंध में पृच्छा तथा मार्ग दर्शन की माँग की गई है। उक्त के अलोक में संवेदक के अवधि विस्तार के संबंध में स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती है :–

निदेशालय के पत्रांक 5068 दिनांक 25.04.2011 की कडिका–02 (viii) के द्वारा निदेश है कि खाद्यान्न के परिवहन–सह–हथालन हेतु संवेदक से एकरारनामा अधिकत 12 माह के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाए तथा संवेदक का कार्य असंतोषजनक रहने की स्थिति में एकरारनामा समय से पूर्व भी रद्द किया जा सकता है।

इसके अलावे कंडिका–02 (ix) में अंकित है कि "यदि वर्त्तमान वर्ष में संवेदक का कार्य संतोषजनक है तो जिला स्तरीय समिति तथा जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अगले वित्तीय वर्ष हेतु एक वर्ष के लिए अवधि विस्तार कर दिया जाए। क्रियाकलाप का मूल्यांकन उपरोक्त उप कंडिका (vi) में वर्णित समय–सीमा के अनुपालन के आधार पर किया जाएगा।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिन संवेदकों का कार्य संतोषजनक रहा है उनके एकरारनामा को अधिकतम तीन वर्षों की अवधि तक (एक बार में एक वित्तीय वर्ष के लिए) तक विस्तारित किया जा सकता है। किन्तु जो संवेदक लगतार तीन वर्ष तक कार्य कर चुके हैं उनका अवधि विस्तार नहीं किया जाना है तथा नये संवेदक के चुनाव के लिए निर्धारित प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाना है। साथ ही नये संवेदक के चुनाव होने तक उस प्रखंड के वर्त्तमान संवेदक से कार्य लिया जाए ताकि निर्बाध रूप से खाद्यान्न के परिवहन–सह–हथालन का कार्य सुनिश्चित किया जा सके।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

विश्वासभाजन

ह०/–
(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 435 / पटना, दिनांक 12/4/13

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/12.4.

(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।